न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 30/2017
GCMS No. : 2017/00263

प्रार्थीः–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सुरेश साहु पुत्र श्री बस्तीराम साहु (मालिक) मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर जोधपुर रोड बर जिला पाली
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भैरूमल उतमचंदानी (भागीदार) मैसर्स कीर्ति ट्रेडिंग कम्पनी गोपालजी मोहल्ला ब्यावर
3. श्रीमती किशनीदेवी पत्नी श्री भैरूमलजी, मैसर्स कीर्ति ट्रेडिंग कम्पनी गोपालजी मोहल्ला ब्यावर
4. गुरू मुखदास उतमचंदानी पुत्र गंगाराम उतमचंदानी मैसर्स गंगाराम एण्ड कम्पनी अग्रसेन बाजार ब्यावर जिला अजमेर
5. अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री रामगोयल मैसर्स शिवम फूड प्रोडक्ट्स 166 बी–सी–डी, आरसीएस वनस्पति कम्पाउण्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–

प्रार्थी उपस्थित
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 18.01.2016 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स सुरेश किराणा स्टोर जोधपुर रोड बर, जिला पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में 20 बोतल सरसों का खाद्य तेल (ब्राण्ड शिवम) आमजन को बिक्री हेतु रखा हुआ था। प्रत्येक बोतल एक लीटर के पैक में थी, जिसमें मिलावट का शक होने से रूबरू गवाहान व विक्रेता के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 01 को बता दिया की सरसो के तेल (ब्राण्ड शिवम) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 व गवाहान की उपस्थित में सरसो के तेल (ब्राण्ड शिवम) की चार बोतल जांच हेतु क्रय कर उनकी कीमत रूपये 400/– अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से क्रय की गई सरसो के तेल (ब्राण्ड शिवम) की चारो पैक बोतल पर विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी कोड एवं सिरियल नम्बर आर 451 लिखा एवं उस पर नमुना का विवरण अंकित किया जिस पर मैने, गवाहान एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय के हस्ताक्षर है। प्रत्येक नमुना बोतल को नियमानुसार सीलबंद व सीलमुहर किया एवं अपने जाब्ते में ली। अप्रार्थी संख्या 01 से सरसों के खाद्य तेल (ब्राण्ड शिवम) के खरीद बिल के बारे में पुछने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने मैसर्स कीर्ति ट्रेडिंग कम्पनी गोपालजी मोहल्ला ब्यावर के बिल क्रमांक 4506 दिनांक 04.01.2016 की प्रति पेश की। प्रार्थी ने गवाहान एंव अप्रार्थी संख्या 01 के सामने मौके पर ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की एवं गवाहान को पढ़कर सुनाया तथा हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे उन्होने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर नियमानुसार फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार कर कार्यालय के सहायक कर्मचारी श्री किशोर कुमार पाण्डे के साथ अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया सरसों के खाद्य तेल का नमुना आर–451 खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में दिनांक 19.01.2016 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया खाद्य तेल सरसो का तेल(ब्राण्ड शिवम) को Sub Standrad does not conform and Misbranded under section 3(1)(zf)(B)(ii) of Food safety and Standards Act, 2011 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standard and Mis Branded सरसों के खाद्य तेल का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण न तो न्यायालय में उपस्थित हुए एवं न ही किसी प्रकार का जवाब न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसलिए प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से सरसों के खाद्य तेल (ब्राण्ड शिवम) को वास्ते नमूना जांच क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–451 अंकित कर नमूने को सीलबंद किया गया तथा एक्ट में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./44/एक्ट/2016/76 दिनांक 27.01.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–451 को Sub Standard and Mis Branded माना है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सरसो के तेल (ब्राण्ड शिवम) को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की फर्म मैसर्स कीर्ति ट्रेडिंग

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

कम्पनी गोपाल जी मोहल्ला ब्यावर से खरीद किया जिसका बिल क्रमांक 1506 दिनांक 04.01.2016 पत्रावली के संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की फर्म ने सरसो का तेल (ब्राण्ड शिवम) अप्रार्थी संख्या 04 से बिल संख्या 10591 के माध्यम से मैसर्स गंगाराम एण्ड कम्पनी पंसारी बाजार ब्यावर से खरीद किया। अप्रार्थी संख्या 04 एक थोक व्यापारी है। अप्रार्थी संख्या 04 ने खाद्य तेल सरसो (ब्राण्ड शिवम) को विनिर्माता कम्पनी शिवम फुड प्रोडक्ट्स जयपुर से बिल क्रमांक 1431 दिनांक 18.11.2015 के जरिये खरीद किया था। प्रत्येक खरीद के बिल की प्रति पत्रावली के संलग्न है। अप्रार्थीगण को जवाब के पर्याप्त अवसर देने के बावजुद भी किसी ने अपना जवाब पेश नही किया न ही तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुए जो प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./44/एक्ट/2016/76 दिनांक 27.01.2016 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रॉडक्ट पर एगमार्क एंव सर्टीफिकेट मार्क नही लगा हुआ है जो Contravention Misbranded under section 3(1) (zf)(B)(ii) of Food safety and Standards Act 2006 का उल्लघंन है साथ ही उक्त नमुना Sub Standard है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standard and Mis Branded खाद्य तेल सरसो (ब्राण्ड शिवम) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 50000/– व अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 50000/– तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 प्रत्येक पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली